



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31122024-259769
CG-MH-E-31122024-259769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1087]
No. 1087]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSHA 10, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विनियमन विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 19 दिसम्बर, 2024

चल आस्ति के न्यूनतम प्रतिशत को बनाए रखना

अधिसूचना सं. विवि.एफआईएन.34/03.10.136/2024-25.—भारतीय रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 29बी की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 35बी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिनांक 25 मई 2019 को जारी पूर्व अधिसूचना सं. रा.आ.बैंक.आ.वि.कं.एलए-2/एमडीएंडसीईओ/2019 का अधिक्रमण करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा आवश्यक है एतद् द्वारा घोषणा करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 29बी की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान आवास वित्त संस्थान पर लागू नहीं होंगे जो एक कंपनी है, बशर्ते कि-

(ए) प्रत्येक आवास वित्त संस्थान जो एक कंपनी है, जो सार्वजनिक जमा स्वीकार करती है

(1) भारत में भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों, जिसका मूल्यांकन ऐसी प्रतिभूतियों के चालू बाजार मूल्य से अधिक न हो, में उतनी राशि निवेश करेगी और निवेश को जारी रखेगी, जो किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, दूसरी पूर्ववर्ती

तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर बकाया सार्वजनिक जमा के निम्नलिखित प्रतिशत से कम नहीं होगी:

(i) 01 जनवरी 2025 को और उसके बाद	आठ प्रतिशत
(ii) 01 जुलाई 2025 को और उसके बाद	दस प्रतिशत

(2) भारत में किसी अनुसूचित बैंक के खाते में मीयादी जमा अथवा जमा प्रमाणपत्र (प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार से मुक्त) अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक में जमा अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों में अभिदान के रूप में अथवा अंशतः ऐसे खाते में अथवा ऐसी जमा राशि में अथवा अंशतः ऐसे अभिदान के रूप में एक राशि, जो किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, खंड (1) के अधीन किए गए निवेश के साथ, दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर बकाया सार्वजनिक जमा के निम्नलिखित प्रतिशत से कम नहीं होगी :

(i) 01 जनवरी 2025 को और उसके बाद	चौदह प्रतिशत
(ii) 01 जुलाई 2025 को और उसके बाद	पंद्रह प्रतिशत

(बी) धारा 29बी के अन्य सभी प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित उपरोक्त आवश्यकता पर लागू होंगे जैसेकि अभिव्यक्ति "सार्वजनिक जमा" उक्त धारा के तहत परिकल्पित "जमाराशि" के समान है।

स्पष्टीकरण:

"सार्वजनिक जमा" का वही आशय है जो मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैराग्राफ 4.1.30 के तहत निर्दिष्ट है, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया जाता है।

जे.पी. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
[विज्ञापन-III/4/असा./855/2024-25]

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Regulation)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th December, 2024

Maintenance of a minimum percentage of liquid assets

Notification No. DOR.FIN.34/03.10.136/2024-25.— In exercise of the powers conferred under Section 35B read with sub-sections (1) and (2) of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and in supersession of the Notification No. NHB.HFC.LA-2/MD&CEO/2019 dated 25th May 2019, previously issued by National Housing Bank, the Reserve Bank being satisfied that it is necessary so to do, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 29B of the said Act shall not apply to housing finance institution which is a company, subject to, however that—

(A) Every housing finance institution which is a company, accepting public deposits shall

(1) invest and continue to invest in India in unencumbered approved securities, valued at a price not exceeding the current market price of such securities, an amount which, at the close of business on any day, shall not be less than the

following per cent of the public deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter:

(i) on and from January 01, 2025	eight per cent
(ii) on and from July 01, 2025	ten per cent

(2) maintain in India in an account with any scheduled bank in term deposits or certificate of deposits (free of charge or lien) or in deposits with the National Housing Bank or by way of subscription to the bonds issued by the National Housing Bank, or partly in such an account or in such deposit or partly by way of such subscription, a sum which, at the close of business on any day, together with the investment made under clause (1), shall not be less than the following per cent of the public deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter:

(i) on and from January 01, 2025	fourteen per cent
(ii) on and from July 01, 2025	fifteen per cent

(B) All other provisions of Section 29B shall *mutatis mutandis* be applicable to the above requirement as if the expression “public deposit” is the same as the expression “deposit” as contemplated under the said section.

Explanation:

“Public deposit” shall have the same meaning as assigned under paragraph 4.1.30 of the Master Direction – Non-Banking Financial Company – Housing Finance Company (Reserve Bank) Directions, 2021, as amended from time to time.

J. P. SHARMA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./855/2024-25]